भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2180
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

2180. **डॉ. अमर सिंह:**
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में निर्भया कोष योजनाओं के अंतर्गत निधि उपयोग दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/संचालित वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी), मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त निधि के अंतर्गत वापस ली गई, विलंबित/बीच में रोकी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल 7712.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। निर्भया कोष से जारी और उपयोग की गई कुल निधि 6232.83 करोड़ रुपये है जो कुल आवंटन का लगभग 81% है।

निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। निर्भया कोष की रूपरेखा के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा शुरू में मूल्यांकन की गई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर चरणबद्ध होता है। कुछ मूल्यांकित परियोजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, अधिकांश

परियोजनाएं राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्धारित निधि साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) के अनुमोदन के बाद निधि जारी करती है। जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित समयसीमा के अनुसार किया जाता है। निधि के उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) स्वीकृत/संचालित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) निर्भया कोष की रूपरेखा के अंतर्गत गठित अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा अब तक कुल 50 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार है –

I.	ईसी द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या	=	50
II.	सीएफए द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या [(I) में से]	=	40
III.	मूल्यांकन की गई लेकिन सीएफए की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं की संख्या [(i) में से]	=	10
IV.	संचालित परियोजनाओं की संख्या [(II) में से]	=	21
V.	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या [(II) में से]	=	16
VI.	बंद परियोजनाओं की संख्या* [(II) में से]	=	03

*(जहां समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं)

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की क्रमशः 02 परियोजनाएं अर्थात् (i) चिराली: फ्रेंड्स फॉरएवर (ii) महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, को राज्य सरकारों के अनुरोध पर बंद कर दिया गया। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की सिफारिश के आधार पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) योजना को बंद कर दिया गया, जबकि मिशन शक्ति के अन्य घटकों के अंतर्गत इसकी विशेषताओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

*****

अनुलग्नक-I

'निर्भया कोष' के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के भाग (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक

क्र. सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी और उपयोग की गई निधि (रुपये करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	133.07
2	अरुणाचल प्रदेश	53.27
3	असम	120.90
4	बिहार	148.80
5	छत्तीसगढ़	117.02
6	गोवा	28.74
7	गुजरात	225.50
8	हरियाणा	118.05
9	हिमाचल प्रदेश	63.70
10	जम्मू और कश्मीर	52.52
11	झारखंड	69.20
12	कर्नाटक	490.71
13	केरल	134.32
14	मध्य प्रदेश	206.88
15	महाराष्ट्र	372.89
16	मणिपुर	73.38
17	मेघालय	51.05
18	मिजोरम	49.45
19	नागालैंड	60.89
20	ओडिशा	139.52
21	पंजाब	64.27
22	राजस्थान	189.59
23	सिक्किम	57.66
24	तमिलनाडु	347.55
25	तेलंगाना	298.49
26	त्रिपुरा	30.11
27	उत्तर प्रदेश	699.12
28	उत्तराखंड	64.50
29	पश्चिम बंगाल	136.07

30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16.63
31	चंडीगढ़	80.93
32	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप	17.32
33	दिल्ली	538.31
34	लद्दाख	20.03
35	लक्षद्वीप	10.19
36	पुद्दुचेरी	66.17

अनुलग्नक-II

'निर्भया कोष' के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2180 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक।

क्र. सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ओएससी की संख्या**		**एएचटीयू की संख्या**	**सीडब्ल्यूसी की संख्या**
		अनुमोदित	**संचालित**		
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3	1	3
2	आंध्र प्रदेश	26	26	13	26
3	अरुणाचल प्रदेश	27	25	25	26
4	असम	36	36	38	36
5	बिहार	65	39	44	38
6	चंडीगढ़	1	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	42	29	27	33
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप	3	3	3	3
9	दिल्ली	22	11	17	10
10	गोवा	2	2	2	2
11	गुजरात	36	35	40	33
12	हरियाणा	22	22	22	22
13	हिमाचल प्रदेश	13	13	12	12
14	जम्मू और कश्मीर	23	20	21	20
15	झारखंड	35	24	24	24
16	कर्नाटक	40	40	35	39
17	केरल	16	14	22	14
18	लद्दाख	2	2	2	2
19	लक्षद्वीप	1	1	1	1
20	मध्य प्रदेश	65	57	52	51
21	महाराष्ट्र	55	55	45	39
22	मणिपुर	16	16	16	16
23	मेघालय	13	12	11	12
24	मिजोरम	13	13	8	11
25	नागालैंड	17	11	11	16
26	ओडिशा	32	30	36	31

27	पुद्दुचेरी	4	4	4	2
28	पंजाब	23	23	29	23
29	राजस्थान	52	43	43	34
30	सिक्किम	6	6	5	6
31	तमिलनाडु	59	49	32	40
32	तेलंगाना	36	36	30	36
33	त्रिपुरा	10	8	8	8
34	उत्तर प्रदेश	121	96	75	75
35	उत्तराखंड	14	14	13	13
36	पश्चिम बंगाल	24	24	39	25
	कुल	**975**	**843**	**807**	**783**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 807 एएचटीयू के अतिरिक्त, सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ और एसएसबी) द्वारा 20 एएचटीयू स्थापित किए गए हैं।